संख्या– 3009 / पॉच–9–2013–9(113)05

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 7 दिसम्बर, 2013

विषयः–जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3668 / पॉच–9–7–9(113) / 2005, दिनांक 19 जनवरी, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को बियरर चेक एवं आशा को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अ0शा0 पत्र संख्या–Z 14018 / 33 / 2012–JSY(Pt.), दिनांक 03.06.2013 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में पूर्व व्यवस्था को संशोधित करते हुए शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

(क) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का भुगतान नकद या बियरर चेक के माध्यम से न करके एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय। एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान न किये जाने को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

(ख) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों / महिलाओं का 'आधार' क्रमांक व बैंक खाते का विवरण एम0सी0टी0एस0 डाटाबेस में पंजीकरण के समय अथवा जब वे एन्टी नेटल चेक–अप (ए0एन0सी0) के लिए आयें, दर्ज कर लिया जाय।

(ग) यदि गर्भवती महिलाओं का 'आधार' क्रमांक और / अथवा बैंक खाता विवरण एम0सी0टी0एस0 डाटोबेस पंजीकरण अथवा एन्टी नेटल चेक–अप के समय उपलब्ध न हो तो उन्हें 'आधार' क्रमांक के अन्तर्गत तत्काल पंजीयन कराने और बैंक खाता खुलवाने का परामर्श दिया जाय।

(घ) यदि कोई गर्भवती महिला एन्टी नेटल चेक–अप (ए0एन0सी0) के लिए पहले से न आये और सीधे प्रसव के समय केन्द्र पर आये और उसके नाम से कोई बैंक खाता या 'आधार' क्रमांक न हो तो उसे 'आधार' क्रमांक प्राप्त करने एवं बैंक खाता खुलवाने हेतु यथासंभव पूर्ण सहयोग / सहायता प्रदान की जाय।

SO

(ड.) प्रत्येक दशा में लाभार्थियों का भुगतान प्रसव केन्द्र से डिस्चार्ज के समय एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय, भले ही लाभार्थी का बैंक खाता खुला हो अथवा न खुला हो। ऐसा न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 3809 (1)/पॉच–9–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0डी0पी0, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5. अधिशाषी निदेशक, सिफ्सा, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज/महिला एवं बाल विकास/समेकित बाल विकास परियोजना/ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।